फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

श्री राज कुमार चरनाल चान्दपोल बाहर कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द
— अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द
— रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 14/2018**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 19.04.2018 अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लो0सू0 अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांकः—प.1( ) सू.अ.05/2018/266—67 दिनांक 16.04.2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 22.02.2018 को सूचना के अधिकारी अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 27.02.2018 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पत्र मे वर्णित वांछित सूचना कार्यालय के प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग की होने से जरिये पत्रांक प.1( )सू0अ0 05/2018/157 दिनांक 27.02.2018 को प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कार्यालय हाजा द्वारा जरिये पत्रांक एफ 17/4(4)सू.अ./न्याय/2018/2256 दिनांक 22.03.2018 से अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार सूचना प्रार्थी/अपीलार्थी को सीधे ही पत्र प्रेषित करते हुए इस अनुभाग को पत्र प्रेषित किया गया जिसके क्रम में पुनः इस अनुभाग के जरिये पत्रांक एफ.1( )सू0अ0, 05/2018/213 दिनांक 28.03.2018 से पत्र की प्रति संलग्न करते हुए प्रार्थी/अपीलार्थी को वांछित सूचना प्रेषित की गई। कार्यालय के अभिलेख पर नियत समयावधि में जो सूचना उपलब्ध थी वह प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी है। लो0सू0अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना कार्यालय के अभिलेख पर नियत समयावधि में जो सूचना उपलब्ध थी वह उपलब्ध कराई उपलब्ध करा दिए जाने से अपीलार्थी द्वारा प्रेषित अपील इसी स्टेज पर निरस्त की जाती है। निर्णय प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर)राजसमन्द**	

न्यायालय जिला कलक्टर